कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया।

(जिला भू–अर्जन कार्यालय)

प्रपत्र–VI

समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता–सह– समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा– 11 (1) के अधीन)

चूँकि समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम–दहमा खैरी खुटहा, थाना–गोगरी, थाना सं0–192, अंचल–अलौली, जिला–खगड़िया में कुल–6.465 एकड़ भूमि सार्वजनिक परियोजन, यथा, परियोजना–खगड़िया सोनमनकी घाट के बागमती नदी पर 7वें कि0मी0 पर आर0सी0सी0 पुल के पहूंच पथ एवं गाईड बांध पश्चिमी के निर्माण हेतु अपेक्षित है, अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम– दहमा खैरी खुटहा, थाना–गोगरी, थाना सं0–192, अंचल–अलौली, जिला–खगड़िया में A.N.Sinha Institute of social Studies पटना से प्राप्त सामाजिक प्रभाव आकलन (एस0 आई0 ए0) की विशेषज्ञ समूह द्वारा मूल्यांकन किया गया। विशेषज्ञ समूह द्वारा मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि विशेषज्ञ समूह की राय में विषयांकित परियोजना की क्रियान्वयन हेतु भू–अर्जन लोक उद्देश्य के लिए किया जा रहा है तथा परियोजना से होने वाले लाभ प्रतीयमान क्षति की सापेक्षता में अधिक है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 6.465 एकड़ मानक माप का भूखंड जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है

क्र0	खाता सं0	सर्वे भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्र (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)
1	4	1437	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.13	गोपाल पोद्दार, पिता डोमी पोद्दार सा0 खैरी डीह	उ0–नीज द0–खेसरा सं0 1438 पू0–प्रकाश पंडित प0–खेसरा सं0 1437
2	291	1323	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.69	प्रकाश पंडित वो अशोक पंडित पिता स्व0 धनेश्वर पंडित खैरी डीह	उ0–नीज द0–नीज पू0–नीज प0–गोपाल पंडित
3	291	1438	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.12	मुस्तवाहा	उ0–प्रकाश पंडित द0–सर्वे नदी पू0–खेसरा सं0 1438 प0–खेसरा सं0–1438
4	291	2780	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.27	नदी	उ0–खेसरा सं0–1438 द0–सर्वे नदी पू0–सर्वे नदी प0–सर्वे नदी

5	291	2780	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.24	नदी	उ0–सर्वे नदी द0–सर्वे नदी पू0–सर्वे सड़क प0–सर्वे नदी
6	291	1289	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	सड़क	0.14	अनाबाद सर्व साधारण सड़क	उ0–सर्वे सड़क द0–सर्वे सड़क पू0–कुलदीप सिंह वो राजेश गुप्ता प0–सर्वे नदी
7	315	1276	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.19	कुलदीप प्र0 सिंह, पिता बाल्मीकी सिंह सा0 खैरी डीह	उ0–नीज द0–राजेश गुप्ता पू0–गंगा प्रसाद प0–सर्वे सड़क
8	315	1276	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.30	गंगा प्रसाद, पिता रामरूप सिंह सा0 मथुरा, माड़र	उ0–नीज द0–राजेश गुप्ता पू0–रहीना खातुन प0–कुलदीप
9	315	1276	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.42	रहीना खातुन पति मोईज उद्दीन सा0 मधुरा (माड़र)	उ0–नीज द0–राजेश गुप्ता पू0–रौशन प्रसाद प0–गंगा प्रसाद
10	315	1276	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	2.54	राजेश प्र0 गुप्ता पिता मोहन प्र0 गुप्ता, सा0 खगड़िया	उ0–गंगा प्रसाद द0–नीज पू0–रौशन प्रसाद प0–सर्वे सड़क
11	319	1258	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.23	रौशन प्र0 पिता विद्यानंद प्रसाद सा0 सोनमनकी	उ0–नीज द0–बिरेन्द्र प्रसाद पू0–बिरेन्द्र प्रसाद प0–रहीना खातुन
12	22	1268	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.34	बिरेन्द्र प्रसाद वो संदीप कुमार पिता बिक्रमानंद प्रसाद सा0 सोनमनकी	उ0–रौशन प्रसाद द0–नीज पू0–नित्यानंद प्रसाद प0–राजेश प्रसाद
13	22	1266	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.04	बिरेन्द्र प्रसाद वो संदीप कुमार पिता बिक्रमानंद प्रसाद सा0 सोनमनकी	उ0–नीज द0–नीज पू0–नित्यानंद प0–नीज
14	13	1267	खतियान/ केवाला/ लगान रसीद	भीठ	0.26	नित्यानंद प्रसाद गुप्ता पिता राम लगीना प्रसाद सा0 सोनमनकी	उ0–विरेन्द्र प्रसाद द0–लालबाबू पू0–राजेश गुप्ता प0–बिरेन्द्र

15	155	1259	खतियान / केवाला / लगान रसीद	भीठ	0.045	विरेन्द प्रसाद वो संदीप कुमार पिता बिक्रमानंद प्रसाद सा0 सोनमनकी	उ0–नीज द0–नित्यानंद प्रसाद पू0–राजेश गुप्ता प0–रौशन प्रसाद
16	132	1260	खतियान / केवाला / लगान रसीद	भीठ	0.28	राजेश प्र0 गुप्ता पिता मोहन प्र0 गुप्ता, सा0 खगड़िया	उ0–विरेन्द्र प्रसाद द0–लालबाबू पू0–लालबाबू प0–नित्यानंद
17		1261	खतियान / केवाला / लगान रसीद	भीठ	0.16	लालबाबू प्रसाद पिता बनोद प्रसाद सा0 सोनमनकी	उ0–खेसरा सं0–1251 द0–नीज पू0–सर्वे सड़क प0–राजेश कुमार
18	46	1270	खतियान / केवाला / लगान रसीद	भीठ	0.07	विरेन्द प्रसाद वो संदीप कुमार पिता बिक्रमानंद प्रसाद सा0 सोनमनकी	उ0–राजेश गुप्ता द0–खेसरा सं0–1270 पू0–विरेन्द्र प्रसाद प0–राजेश गुप्ता

यह अधिसूचना भू–अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 / 2013), की धारा– 11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। समाहर्त्ता–सह– समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एंव यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया और उनके कर्मचारी श्री आनन्द प्रकाश राम, कानुनगो को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा – 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय / विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोइ विल्लगत उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा– 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बावत किसी प्रकार की आपतियाँ हितबद्व व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

समाहर्त्ता
खगड़िया

ज्ञापांक ......1183....... /भू–अ0, दिनांक 30-10-17

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक भू–अर्जन, निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि दो दैनिक समाचार पत्रों में स्थानीय भाषा में प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
4. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, खगड़िया को जिला गजट के अगले असधारण अंक में प्रकाशनार्थ एंव प्रकाशित जिला गजट की बीस–बीस प्रतियाँ इस कार्यालय को एवं ज़िला भू–अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।
5. जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (एन0आई0सी0), खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि वेबसाईट पर प्रकाशित करना सुनिश्चित करेगें।
6. कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता
खगड़िया।